न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं०–04, झांसी।

सत्र परीक्षण सं०–246/2021

CNR No–UPJS01–00 –2021

सरकार बनाम रामकुमार यादव आदि।

मु०अ०सं०–303/2019

धारा–307, 427, 324, 325, 326 भा०दं०सं०

थाना–**बबीना**, जिला–**झाँसी**।

आरोप

मैं **नीतू यादव**, अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं०–04, झांसी एतद द्वारा आप **रामकुमार यादव व रविन्द्र यादव** पर निम्न आरोप लगाती हूं कि–

1– यह कि दिनांक–17.10.2019 को समय–23.00 बजे स्थान–महेश यादव प्रधान के घर के सामने, मोहल्ला–शास्त्रीनगर कस्बा बबीना अंतर्गत थाना–बबीना, जिला–झांसी में आप लोगों ने वादी मुकदमा के पुत्र देवेन्द्र पर जान से मारने की नीयत से कट्टे से फायर जो उसकी आंख में लगी तथा उसके ऊपर चाकू व अन्य धारदार हथियार से वार किया जिससे वह बेहोश हो गया। आप लोगों ने उक्त कृत्य ऐसे आशय एवं ज्ञान से किया कि यदि आपके द्वारा किये गये उस कार्य से यदि वादी मुकदमा के पुत्र देवेन्द्र की मृत्यु हो जाती है तो आप लोग हत्या के दोषी होते। इस प्रकार आपने **धारा–307 भा०दं०सं०** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर अंतर्गत थाना–बबीना, जिला–झांसी में आप लोगों के द्वारा वादी मुकदमा के पुत्र देवेन्द्र खतरनाक आयुधों से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की। इस प्रकार आप लोगों ने **धारा–324 भा०दं०सं०** के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

3– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर अंतर्गत थाना–बबीना, जिला–झांसी में आप लोगों के द्वारा वादी मुकदमा के पुत्र देवेन्द्र से मारपीट कर स्वेच्छया घोर उपहति कारित की। इस प्रकार आप लोगों ने **धारा–325 भा०दं०सं०** के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

4– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर अंतर्गत थाना–बबीना, जिला–झांसी में आप लोगों के द्वारा वादी मुकदमा के पुत्र देवेन्द्र को खतरनाक आयुधों से मारपीट कर स्वेच्छया घोर उपहति कारित की। इस प्रकार आप लोगों ने **धारा–326 भा०दं०सं०** के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

5– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर अंतर्गत थाना–बबीना, जिला–झांसी में आप लोगों के द्वारा रिष्टि करने से वादी मुकदमा को पचास रूपये से अधिक का नुकसान हुआ। इस प्रकार आपने **धारा–427 भा०दं०सं०** के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

मैं एतद द्वारा आपको निर्देश देती हूं कि उपरोक्त आरोपों पर आपका परीक्षण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा ।

दिनांक–26.11.2021

(नीतू यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय सं०–04, झांसी।
JO Code–UP06381

आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया। अभियुक्तगण ने आरोपों से इनकार किया तथा परीक्षण की याचना की।

दिनांक–26.11.2021

(नीतू यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय सं०–04, झांसी।
JO Code–UP06381

न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं०–04, झांसी।

सत्र परीक्षण सं०–246/2021

CNR No–UPJS01–00 –2021

सरकार बनाम रामकुमार यादव आदि।

मु०अ०सं०–303/2019

धारा–307, 427, 324, 325, 326 भा०दं०सं०

थाना–**बबीना**, जिला–**झाँसी**।

दिनांक–26.11.2021

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर अभियुक्त **राम कुमार यादव** जेरे कारागार एवं अभियुक्त **रविन्द्र यादव** व्यक्तिगत रूप से उपस्थित है। राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) उपस्थित हैं। पत्रावली वास्ते आरोप नियत है।

आरोप के बिन्दु पर राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का सम्यक परिशीलन किया।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) ने मामले के रखते हुए उक्त तथ्यों को बताया की किस साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध मामले को सिद्ध करना चाहते हैं। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि अभियुक्तगण ने कोई अपराध कारित नहीं किया है, उन्हें रंजिशन पुलिस से मिलकर झूठा नामित किया गया है। अतः अभियुक्तगण को मामले में उन्मोचित करने की प्रार्थना की गई है।

पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजी साक्ष्य तथा उभयपक्ष को सुनने के उपरान्त न्यायालय अभियुक्तगण **राम कुमार यादव एवं रविन्द्र यादव** के विरूद्ध धारा–307, 427, 324, 325, 326 भा०दं०सं० अंतर्गत आरोप विरचित किये जाने हेतु प्रथम दृष्टया पर्याप्त आधार पाती है। अतः अभियुक्तगण के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं के अंतर्गत आरोप पृथक प्रपत्र पर विरचित किया जाये।

दिनांक–26.11.2021

(नीतू यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय सं०–04, झांसी।
JO Code–UP06381

दिनांक–26.11.2021

अभियुक्तगण **राम कुमार यादव एवं रविन्द्र यादव** के विरूद्ध धारा–307, 427, 324, 325, 326 भा०दं०सं० के अंतर्गत धाराओं में आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त ने लगाये गये आरोप से इंकार किया तथा विचारण चाहा।

पत्रावली साक्ष्य हेतु **दिनांक–10.12.2021** को पेश हो। नियत तिथि के लिये साक्षी तलब हों।

दिनांक–26.11.2021

(नीतू यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय सं०–04, झांसी।
JO Code–UP06381